शोध मंथन, Impact Factor 6.726 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255 (e): 2454-339X
Vol. X, No.II, pp (597-600) April - June 2019

अनुसूचित/दलित जातियों में सामाजिक गतिशिलताः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन अनुसूचित जाति

शकुन्तला साहनी

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, डी0डी0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

Email: arnavk090@gmail.com

भारत में अस्पृश्य जातियों को अनेक नामों से सम्बोधित किया गया है। वस्तुतः अनुसूचित जाति का सर्वप्रथम प्रयोग साइमन कमीशन द्वारा किया गया। दलित जातियों को मुख्य रूप से अस्पृश्य, अन्त्यज, दलित आदि नामों से सम्बोधित किया जाता हैं। गांधीजी ने इनके लिये 'हरिजन' अर्थात् ईश्वर का पुत्र शब्द का प्रयोग किया। अंग्रेज इन्हें 'दलित जाति' के रूप में वर्णित करते थें। 1931 की जनगणना में ये 'वाह्य जाति' के रूप में वर्गीकृत किये गये थे। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर जातियों के उत्थान तथा उन्हें कुछ विशेष सुविधायें देने के लिये 1935 के विधान में ऐसी जातियों की एक सूची तैयार की गयी। इस सूची में सम्मिलित सभी जातियों को बाद में अनुसूचित जाति कहा जाने लगा। वैधानिक दृष्टि से अनुसूचित जाति आदेश में उल्लिखित किया गया है।

साइमन कमीशन ने अनुसूचित जाति की सूची में किसी जाति को सम्मिलित करने के लिए जो आधार तय किये थे उसमें से कुछ निम्नलिखित है।

1 क्या उन जातियों के स्पर्श से उच्च जातियाँ अपवित्र हो जाती हैं?

2 क्या उन जातियों का मन्दिर में प्रवेश वर्जित हैं?

3 क्या उन जातियों को सार्वजनिक स्थानों जैसे विद्यालय या कुओं के प्रयोग से वंचित किया गया हैं?

4 क्या उन जातियों की पुरोहिती ब्राह्मण करते हैं?

5 क्या उन जातियों को दर्जियों, नाइयों, धोबियों आदि की सेवायें प्राप्त हैं?

6 क्या उन जातियों का उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सामाजिक व्यवहार में उच्च जातियों द्वारा समान माना जाता हैं?

7 क्या वे जातियाँ अपनी उपेक्षा, अशिक्षा या दीनता के कारण केवल दलित की श्रेणी में हैं? अन्यथा वे सामाजिक रूप से नियोग्य न होते।

8 क्या उन जातियों के लोग अपने व्यवसाय के कारण दलित है? अन्यथा सामाजिक निर्योग्यता न होती।

अनुसूचित जाति में सम्मिलित कुछ मुख्य जातियाँ है –

भंगी, चमार, चुहरा, डोम, पासी, रैगार, मोची, राजवंशी, दुसाध, कियान, शनान, परियान, कोरी आदि। इसके अतिरिक्त द्रविड़, परायण, परीगा, कोली, नामशूद्र आदि जातियाँ भी इसमें सम्मिलित है।

अनुसूचित जातियों की सूचियाँ भारत में अलग–2 रूप में विद्यमान हैं तथा जातियों की संख्या में भी भिन्नता पायी जाती है जिसमें कुछ जातियों की संख्या अधिक है। 2001 की जनगणना के अनुसार पूरे देश में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 166636000 थी। जो देश की कुल जनसंख्या का 16.30 प्रतिशत थी इन अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या में चमार जाति की संख्या सर्वाधिक है। जो कि सम्पूर्ण अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का लगभग एक चौथाई भाग है। यदि इसे प्रदेश स्तर पर देखा जाय तो यह पता चलता है कि कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या का लगभग पांच हिन्दी भाषी प्रान्तों उ0प्र0, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान और हरियाणा नामक राज्यों में निवास करते हैं।

सम्पूर्ण विश्व में समान विशेषताओं से परिपूर्ण अनुसूचित जातियों को सूचीबद्ध किया गया है। अतः उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के सन्दर्भ में सर्वेक्षण करने से यह ज्ञात होता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ इनकी कुल संख्या 35148377 है। और गोरखपुर जनपद में 738613 है। अतः देश में दलितों की कुल आबादी 25 करोड़ 9 लाख 61 हजार 940 है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में 24.4 प्रतिशत हिस्सेदारी दलितों की है। अतः अनुसूचित जाति (SC) की जनसंख्या 16 करोड़ 66 लाख 35 हजार 700 है, जो कुल आबादी का 16.2 प्रतिशत है, जबकि अनुसूचित जाति की आबादी 8 करोड़ 43 लाख 26 हजार 240 है और यह देश की कुल जनसंख्या का 8.2 फीसदी है।

सामाजिक सुरक्षा –

अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक निर्योग्यता को समाप्त करने के लिए संविधान में उपबन्ध किये गयें हैं–

अनुच्छेद 17 – 'अस्पृश्यता' को पूर्ण रूपेण समाप्त किया जाता है और उसका आचरण किसी भी रूप में निषिद्ध किया जाता है। ऐसी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना, जो अस्पृश्यता से उपजी हो, उसे लागू करना अपराध की श्रेणी में आता है जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा। संविधान की इस भावना को मूर्त रूप देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम सरकार बनाये गये है जैसे– नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इस अधिनियम के प्रावधानों को अधिक सख्त बनाने के लिए वर्ष 1976 में अधिनियम में संशोधन किया गया तथा इसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के रूप में पुनर्नामित भी किया गया। चूंकि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों पर हुये अत्याचारों के मामले नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के उपबन्धों में शामिल नही थें। अतः 1989 में एक और महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद ने अत्याचारों को रोकने के लिये विशेष उपाय करने के लिए पारित किया।

आर्थिक सुरक्षा –

अनुच्छेद 23, 24 एवं 46 के प्रावधान को भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में संविधान की पांचवी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। और

देश में ऐसे आठ राज्य हैं। जिनमें आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमांचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान इन राज्यों के राज्यपालों के पास विशेष उत्तरदायित्व एवं शक्तियाँ है।

शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा –

अनुच्छेद 15(4) ''राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्ही वर्गो की उन्नति के लिये या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के कोई विशेष उपबन्ध बनाने की शक्ति देना है। इस अनुच्छेद में उदघृत है कि – इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) की कोई बात राज्य की सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्ही वर्गो की उन्नति के लिये या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिये कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।''

अनुच्छेद 29 (1) के अनुसार – ''भारत के क्षेत्र राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभागको जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कषति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।''

अनुच्छेद 350 (क) – ''प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास प्रत्येक राज्य के भीतर किया जायेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेंगे, जो इस तरह की सुविधाओं का उपबन्ध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझते हैं।''

राजनीतिक सुरक्षा –

अनुच्छेद 164 (1) इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि ''परन्तु बिहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भारसाधक एक मंत्री होगा, जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गो के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भारशाधक हो सकेगा।''

अनुच्छेद 330 – ''इस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।''

नौकरियों में आरक्षण –

अनुच्छेद 16 (4) राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों में विशेष कर जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, उनमें नियुक्तियों या पदों में आरक्षण के प्रावधान की शक्ति प्रदान की गई है।

अनुच्छेद 16 (4) क – इन्दिरा सहानी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 16 नवम्बर 1992 के निर्णय में यह व्यवस्था किया था कि संविधान में पदोन्नतियों की वर्तमान व्यवस्था अनुच्छेद 16 (4) के तहत उचित नहीं है, लेकिन न्यायालय ने इस बात की इजाजत दी कि वर्तमान आरक्षण नीति पांच साल अर्थात् 15 नवम्बर 1997 तक और चल सकती है। लेकिन इससे भारत सरकार ने यह आवश्यक समझा कि पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण जारी रखना है। क्योंकि सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व जिस तरह से होना चाहिए, वैसा नही हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 16 में बदलाव के लिये 77वॉ संविधान संशोधन

अधिनियम 1995 पारित किया गया, इसमें निम्नलिखित धारा को जोड़कर सरकार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया– ''इस अनुच्छेद में राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। किसी वर्ग या वर्गो के पदो पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिये उपबन्ध करने से राज्यय के अधीन सेवाओं से इनकों निवारित नहीं किया जायेगा।''

कानून तथा विधान –

भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से सम्बन्धित कानून केन्द्र और राज्य स्तर पर बनाये गये हैं, जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये संरक्षणों के प्रावधान है। इनमें से संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा बनाये गये हैं। दष्टान्त के रूप में ऐसे कुछ कानून निम्नलिखित है–

- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989
- बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम 1976
- बाल श्रम (प्रतिरोध अधिनियम) अधिनियम 1996
- वन (संरक्षण) अधिनियम 1080
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1906

विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमि के हस्तान्तरण को प्रतिष्ठित करने के लिए अधिनियम लागू किया गया है। भू–राजस्व संहिता के लिए कुछ राज्यों में इस तरह के प्रावधान किये गये हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 अहमद शफीक श्री – अनुसूचित जातियों में सामाजिक गतिशीलता और राजनीतिक सहभागिता, शोध प्रबन्ध, पेज नं0– **8, 9, 10**

2 उपरोक्त पेज नं0– **28, 32, 36**

3 पेज नं0 – **40, 41, 42** उपरोक्त।